विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0028212

श्री मो0 राशिद,
110, कैटेगराईज्ड मार्केट, — **आवेदक**
भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री,
शहर संभाग (उत्तर),
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — **अनावेदक**
भोपाल (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 17.07.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) के प्रकरण क्रमांक C0115812 मो0 राशिद विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 29.08.2012 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में स्थापित मीटर में आकलन सही दर्ज नहीं हो रहा है, इस आशय की शिकायत करने पर उसके परिसर में चेक मीटर दिनांक 13.04.2011 को लगाया गया था । दिनांक 02.05.11 को दोनों मीटरों की जांच किए जाने पर यह पाया गया कि उसके परिसर में पूर्व में स्थापित मीटर तथा चेक मीटर में अलग–अलग खपत दर्ज थी और 19 दिन के दौरान खपत का अन्तर 1517 यूनिट था । दोनों मीटरों की जांच मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में कराई जाने पर दोनों मीटर निर्धारित मानक अनुसार सही पाए गए थे, ऐसी स्थिति में जिस मीटर में खपत कम दर्ज हुई थी उस अनुपात में विद्युत देयक दिए जाने का अनुरोध किया गया था ।

3. फोरम द्वारा उपभोक्ता के उक्त शिकायत के संबंध में यह आदेश दिया गया था कि चेक मीटर और उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की जांच किसी मान्यता प्राप्त एवं अधिकृत प्रयोगशाला जैसे सी.पी. आर.आई. से कराई जाए तथा उपभोक्ता के मीटर के धीमा/तेज होने का संज्ञान लेते हुए जांच निष्कर्ष के आधार पर बिलों को पुनरीक्षित किया जाए ।

4. फोरम के उक्त आदेश का पालन न किए जाने पर उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अनावेदक के फ्रेंचाईजी श्याम इण्डस पावर साल्युसंस प्राईवेट लिमिटेड के कार्यकाल में यह विवाद उत्पन्न हुआ था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा उक्त फ्रेंचाईजी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था । अतः इस आधार पर उसकी शिकायत प्रारंभतः निरस्त किए जाने योग्य थी । इसके अतिरिक्त इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर तथा चेक मीटर की जांच कराने पर दोनों मीटर सही पाए गए थे । ऐसी स्थिति में कौन–सा मीटर सही था तथा कौन–सा मीटर गलत था, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता था । अनावेदक फोरम के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है, परन्तु उपभोक्ता द्वारा सी.पी.आर.आई. संस्था से जांच हेतु विद्युत निरीक्षक को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया और मीटर की जांच के लिए शुल्क जमा नहीं किया है, अतः मीटर की जांच नहीं कराई जा सकी । यदि उपभोक्ता शुल्क जमा करे तो ऐसे मीटरों की जांच कराई जा सकती है ।

5. आवेदक/उपभोक्ता ने जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था उसमें कार्यपालन यंत्री को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया था । वितरण लाईसेंसी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था । अतः वितरण लाईसेंसी को पक्षकार के रूप में संयोजित किए जाने का आदेश दिया गया, परन्तु वितरण लाईसेंसी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

6. आदेश–पत्र में पारित आदेश दिनांक 10.04.2013 के अनुसार अनावेदक को यह आदेश दिया गया कि फोरम ने मीटर की जांच कराई जाने का निर्देश दिया था, अतः अनावेदक की ओर से यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि उसके द्वारा फोरम के आदेश का पालन किया गया है अथवा नहीं ? आदेश पत्र दिनांक 22.05.2013 के अनुसार अनावेदक की ओर से इस आशय की सूचना दी गई कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर उपलब्ध न होने के कारण उसकी जांच नहीं कराई जा सकी है ।

7. इस मामले में उपभोक्ता की शिकायत, अनावेदक के जवाब तथा फोरम के आदेश का अवलोकन करने से प्रथमदृष्टिः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उपभोक्ता के परिसर में एक मीटर स्थापित था तथा

दूसरा चेक मीटर भी लगा था । उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर तथा चेक मीटर में पृथक–पृथक खपत दर्ज हो रही थी, परन्तु ऐसे मीटरों की जांच कराने पर दोनों मीटरों को सही पाया गया था, ऐसी स्थिति में विवाद इस बात का है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर में दर्ज खपत के आधार पर विद्युत प्रभार की वसूली की जाए अथवा चेक मीटर में दर्ज खपत के आधार पर विद्युत प्रभार की वसूली की जाए । फोरम द्वारा इस बिन्दु पर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में आदेश न देते हुए पुनः मीटर की जांच कराने का आदेश दिया था । अनावेदक की ओर से मीटर की जांच नहीं कराई गई थी तथा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि उपभोक्ता द्वारा शुल्क जमा नहीं करने के कारण उसके द्वारा मीटर की जांच नहीं कराई गई है । फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने उपभोक्ता द्वारा शुल्क जमा करने पर मीटर की जांच कराने का निर्देश नहीं दिया था । फोरम के आदेश से स्पष्ट होता है कि फोरम ने अनावेदक को मीटर की जांच कराने का निर्देश दिया था, जबकि अनावेदक द्वारा फोरम के उक्त आदेश के अनुसरण में मीटर की जांच नहीं कराई गई थी । अनावेदक द्वारा यह सूचित किया गया है कि मीटर उपलब्ध न होने के कारण अब जांच नहीं कराई जा सकी है । उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फोरम के आदेश का पालन अनावेदक द्वारा नहीं किया जा सका है, ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किस तरह से किया जावे ।

8. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 9.17 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि जिस अवधि में मीटर कार्यरत् नहीं रहा हो उस अवधि में विद्युत प्रभार वसूली हेतु पूर्व 3 मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाए जाएंगे । यदि चेक मीटर लगे हों तो चेक मीटर से उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जा सकती है । इस प्रकरण में उपभोक्ता का मीटर कार्यरत् था ऐसी स्थिति में पूर्व 3 मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाए जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, परन्तु उपभोक्ता के परिसर के लिए जो विद्युत आपूर्ति की जा रही थी उसमें चेक मीटर लगाया था, अतः चेक मीटर में उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जा सकती थी, जबकि अनावेदक द्वारा चेक मीटर के आधार पर बिलिंग नहीं की गई है । उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण इस आधार पर किया जा सकता है कि उपभोक्ता के परिसर के लिए जो मीटर लगाया गया था उसमें उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जावे ।

9. अतः आवेदक/उपभोक्ता का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । आदेश दिया जाता है कि आवेदक/उपभोक्ता के परिसर में विद्युत आपूर्ति के लिए जो चेक मीटर लगा था उस चेक मीटर में उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई यूनिटों की बिलिंग की जावे । उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर के आधार पर जो बिल बनाए गए हैं उन्हें निरस्त किया जावे तथा चेक मीटर में उपलब्ध रीडिंग के आधार पर नवीन बिल (देयक) बनाया जावे । उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि तथा चेक मीटर में उपलब्ध रीडिंग के आधार पर जो देयक बनाए गए हैं, के अन्तर का समायोजन उपभोक्ता को किया जाए तथा उपभोक्ता द्वारा यदि अतिरिक्त राशि जमा की गई है तो उस राशि को आगे आने वाले बिलों में समायोजित किया जावे ।

10. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल